"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल 2017— वैशाख 4 , शक 1939

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-44/सात-1/2016. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (तैंतीस) सहपठित धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त संहिता की 144 (1) के अधीन निर्मित भू-राजस्व के निलंबन तथा छूट संबंधी नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"11. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016 के रूप में जारी की गई अधिसूचना क्र. 20-103/2015/11/(6) नया रायपुर, दिनांक 9 जून, 2016 के खण्ड 12 के पैरा 12.1 तथा 12.2 के अंतर्गत परिभाषित अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में बंद एवं बीमार उद्योगों द्वारा 36 समान मासिक किश्तों/12 समान त्रैमासिक किश्तों में अतिशोध्य (बकाया) भू-भाटक (जिसमें मूल राशि+ शास्ति/ब्याज/अधिभार सम्मिलित है), देय होगा."

No. F 7-44/Seven-1/2016. — In exercise of the powers conferred by clause (xxxiii) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 144 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Bhu Rajasva Ke Nilamban Tatha Chhoot Sambandhi Niyam framed under Section 144 of the said code, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

After Rule 10, the following shall be added, namely,-

"11. The overdues of ground rent (including principal amount +penalty/interest/surcharge) should be payable in 36 equal monthly installments/12 equal quarterly installments by close and sick industries in the State of Chhattisgarh, as defined under Paragraph 12.1 and Para 12.2 of clause 12 of notification No. 20-103/2015/11/(6) Naya Raipur, dated 9th June, 2016, issued as Chhattisgarh Ke Band/Bimar Udhyogon Hetu Vishesh Protsahan Niti, 2016 by Commerce and Industries Department, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.